राजीव खेल मैदान योजना

निर्देशिका

नाम तथा विस्तार - इस योजना का नाम राजीव खेल मैदान योजना होगा तथा यह प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वर्ष 2002–2003 से लागू होगी ।

उद्देश्य - शहरी क्षेत्रों में खेलकूद के मैदान वर्ष दर वर्ष कम होते जा रहे हैं । वर्तमान में खेलकूद के मैदानों का उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं अतिकमण भी हो रहे हैं । बच्चों के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद के मैदान अत्यंत आवश्यक है ।

मैदान में सभी खेल समय–समय पर खेला जा सके इसके लिये मैदान Radius 80 मी. का लिया जा सकता है । जिसमें किकेट , हाकी, फुटबाल, वॉलीवाल आदि खेल खेले जा सके । यदि शहरी क्षेत्रों मे 80 मी. Radius का मैदान उपलब्ध न हो तो छोटे मैदान का भी प्रस्ताव लिया जा सकता है।

योजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्य -

- खेलकूद हेतु मैदान का समतलीकरण का कार्य लिया जा सकता है ।
- यदि खेल के मैदान के अनुरुप मिट्टी नहीं है तो उसको बदलने का प्रावधान किया जा सकता है ।
- मैदान के चारों ओर पानी की निकासी हेतु कच्ची नाली खुदाई की जा सकती है ।
- मैदान में पिच का निर्माण भी किया जा सकता है ।
- मैदान में घास भी लगायी जा सकती है ।
- प्रमुख द्वार पर पैवेलियन कम प्रवेश द्वार का भी निर्माण किया जा सकता है।
- मैदान की सुरक्षा हेतु मैदान के दो तरफ मिट्टी का बंड बनाया जा सकता है एवं इसमें घास लगायी जा सकती है। मैदान में मवेशियों के प्रवेश को रोकने हेतु बाहरी ओर पाचिंग टो वाल के साथ किया जा सकता है । मैदान से निकाले गये मिट्टी से बंड का निर्माण किया जा सकता है। एक तरफ गेलरी का निर्माण किया जा सकता है।

कमशः......2

- ❑ मैदान के किनारे वृक्ष भी लगाये जा सकते हैं , जिससे पार पर छाया हो सके एवं आराम से बैठकर खेल का आनंद ले सकें । मैदान की समुचित व्यवस्था एवं पेयजल हेतु नलकूप खनन का कार्य किया जा सकता हैं। नलकूप में पर्याप्त क्षमता का पानी उपलब्ध होने पर मैदान के चारों ओर पाइप लाइन बिछायी जा सकती है।
- ❑ पैवेलियन में दो कमरे पीछे एवं पीछे सीढ़ी का प्रावधान किया जा सकता है ।
- ❑ मैदान के चारो कोनो पर विद्युत पोल भी लगाये जा सकते है ।
- ❑ प्रति हेक्टेयर उच्चतम राशि रु. 7.50 लाख ली जा सकती है।
- ❑ योजना के नाम हेतु 6 गुना 4 फुट का बोर्ड लगाना होगा । बेकग्राउंड नीले रंग का रहेगा । अक्षर सफेद रंग से लिखे जावेगें।
- ❑ निर्माण कार्य के लिये दरें पी.डब्ल्यू.डी.एस.ओ.आर. पर आधारित रहेंगी। जिन कार्यो हेतु दरें एस.ओ.आर. में उपलब्ध नहीं हैं। उनका बाजार दर पर आकलन किया जा सकता है। तकनीकी प्रतिवेदन में सारी बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।
- ❑ योजना से संबंधित मानचित्र एवं भूमि प्रपत्र संलग्न करना होगा ।
- ❑ ये तकनीकी निर्देशिका आपके मदद के लिये बनाई गई है। इसमें स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुरुप संशोधान किया जा सकता है ।

योजना के व्यय की प्रतिपूर्ति -

प्रत्येक प्रकरण में खेल मैदान के क्षेत्रफल के मान से योजना में दी जाने वाली राशि तय की जायेगी । प्रत्येक हेक्टेयर मैदान क्षेत्र के लिये रु. 7.50 लाख की ऊपरी सीमा होगी । योजना पर होने वाले व्यय की 80 प्रतिशत राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुदान के रुप में जारी होगी तथा शेष 20 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को वहन करनी होगी । यह राशि नगरीय निकाय अपने स्त्रोतों से, जनता के सहयोग से, स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से या जन –प्रतिनिधियों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि इत्यादि से जुटा सकते हैं ।

क्रमश.....3

प्रकिया -

नगरीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के जिन मैदानों को इस योजना के अंतर्गत लिया जाना है उनके प्रस्ताव मय प्राक्कलन के तैयार किया जावेगा । तदोपरांत नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसे अर्द्धशासकीय पत्र माध्यम से संचालक, नगरीय प्रशासन व विकास को भेजेंगे । प्रत्येक माह इस तरह प्राप्त होने वाले प्रकरणों को संचालक, राज्य शहरी विकास अभिकरण की प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखेंगे, जिसके अध्यक्ष विभाग के माननीय मंत्री जी हैं ।

समिति, कार्य की आवश्यकता एवं उपयोगिता ~~तथा नगरीय निकाय द्वारा जुटाये गये जन सहयोग/स्वयं अंशदान~~ को ध्यान में रखते हुये योजना को स्वीकृत करेगी । स्वीकृति उपरांत अभिकरण से कार्य हेतु दो समान किश्तों में राशि जारी की जायेगी । दूसरी किश्त की राशि देने से पूर्व अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि नगरीय निकाय ने अपने हिस्से की 20 प्रतिशत राशि व्यय की दी हैं या नहीं । तदोपरांत दूसरी किश्त की राशि जारी की जायेगी ।

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
डी.के.एस.भवन,मंत्रालय,रायपुर

कमांक 1908 /576/18/2006 रायपुर, दिनांक 17/04/2006

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (नाम से)
2. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत

विषयः—राज्य प्रवर्तित योजना के दिशा निर्देश में संशोधन।

—::—

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत निम्नांकित राज्य प्रवर्तित योजनाओं के दिशा निर्देश समय—समय पर जारी किये गये थे :—

(i) ज्ञान स्थली योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना तथा सरोवर धरोवर योजना, जिसके दिशा निर्देश विभाग के पत्र क. 174/नप्र/02 दिनांक 26 अप्रेल 2002 के द्वारा जारी किये गये थे।

(ii) बाबा गुरूघासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजना के दिशा निर्देश विभाग के पत्र कमांक 1786 दिनांक 21 अप्रेल 2003 के द्वारा जारी किये गये थे।

(iii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलम्बन योजना के दिशा निर्देश विभाग के पत्र कमांक एफ 9—25/18/2004 दिनांक 15.09.2004 के द्वारा जारी किये गये थे।

2. उपरोक्त सभी योजनाओं मे यह प्रावधान रखा गया था कि 80 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अनुदान स्वरूप दिया जावेगा तथा 20 प्रतिशत राशि संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जावेगा। उपरोक्त सभी योजनाओं में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :—

(i) राज्य प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से अनुदान के रूप में दी जावेगी।

(ii) यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2006—07 से प्रभावशील होगा तथा केवल नई परियोजनाओं के लिए लागू होगा, शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(अजय सिंह) 17/4/06
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

..2..

3

छत्तीसगढ़ शासन,
पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग,
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन.

आदेश

रायपुर, दिनांक 02.01.2004

कमांक 23 /7848/18/2003 : राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसंरचना विकास निधि से संचालित निम्नानुसार, राज्य प्रवर्तित योजनाओं का नाम, उनके सम्मुख दर्शित नाम के रूप मे परिवर्तित करता है :-

क्रमांक	योजना का वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
1.	इंदिरा विद्या भवन योजना	ज्ञानस्थली योजना
2.	इंदिरा शहरी सरोवर योजना	सरोवर धरोहर योजना
3.	राजीव खेल मैदान योजना	उन्मुक्त खेल मैदान योजना
4.	नेहरू बाल उद्यान योजना	पुष्प वाटिका उद्यान योजना
5.	राजीव स्वावलम्बन योजना	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
6.	प्रियदर्शिनी बस स्टैण्ड योजना	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना

6.1.04

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बी.के. सिन्हा)
विशेष सचिव,
पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक /07/2009

क्रमांक : /5076/18/2009 :— राज्य शासन द्वारा राज्य प्रवर्तित योजनाओं के मापदण्ड एवं वित्तीय सीमा के निर्धारण हेतु विभाग द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 20.02.2009 में अनुशंसानुसार राज्य प्रवर्तित योजनाओं के लिए पुनरीक्षित मापदण्ड अनुसार निम्नांकित वित्तीय सीमा निर्धारित किया जाता है :—

क्र.	योजना का नाम	प्रचलित वित्तीय मापदण्ड	संशोधित वित्तीय मापदण्ड
1.	सरोवर धरोहर योजना	9.10 लाख/हेक्टेयर	11.90 लाख/ हेक्टेयर
2.	पुष्प वाटिका उद्यान योजना	11.05 लाख/हेक्टेयर	16.00 लाख/हेक्टेयर
3.	उन्मुक्त खेल मैदान योजना	7.50 लाख/हेक्टेयर	10.25 लाख/हेक्टेयर
4.	ज्ञान स्थली योजना :—		
	प्राथमिक शाला —	3.00 लाख	5.25 लाख
	माध्यमिक शाला —	5.00 लाख	7.35 लाख
	हाई स्कूल —	7.00 लाख	8.65 लाख
	महाविद्यालय —	8.00 लाख	9.70 लाख
5.	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :—		
	दुकान 3.50 मी. X 3.00 मी. —	25000/— प्रति दुकान	0.57 लाख प्रति दुकान
	दुकान 2.50 मी. X 3.00 मी. —		0.46 लाख प्रति दुकान
6.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना :—		
	12 सीटर शौचालय —	6.00 लाख	8.00 लाख
	20 सीटर शौचालय —	9.00 लाख	11.40 लाख
	26 सीटर शौचालय —	10.00 लाख	13.60 लाख

2/— उल्लेखित योजनाओं के लिए पूर्व में जारी दिशा—निर्देश यथावत् रहेंगे।

3/— भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं का संशोधित मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जावें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गेबनुस खलखो)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Dy CEO
give copy to all
+ ULBs
22/8